पंचायत निगरानी संख्या : 301/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम मंजु व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 301/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/383

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
अमृतलाल चौहान पुत्र श्री कानाराम जाति सुथार, निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 301, शुभ लक्ष्मी सी.एच. एस. लिमिटेड़, बी.पी.रोड़, साई बाबा होस्पीटल जवल, ठाणे महाराष्ट्र	बनाम	1. मंजू पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत कोटड़ी तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत कोटड़ी के पंचायत प्रस्ताव आदेश दिनांक 05.11.2019 एवं निरस्त किये गए मिसल संख्या 70/2018–2019 जरिये दिनांक 05.12.2019 को जारी किया गया बुक संख्या 10 पट्टा संख्या 05 जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 27.02.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश कर ग्राम पंचायत कोटड़ी के पंचायत प्रस्ताव आदेश दिनांक 05.11.2019 एवं मिसल संख्या 70/2018–2019 जरिये दिनांक 05.12.2019 को बुक संख्या 10 का पट्टा संख्या 05 जारी किया गया जिसे अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत की।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार प्रार्थी का एक रहवासीय पक्का मकान गांव कोटड़ी की आबादी भूमि में मालिकाना हक हकुक का आया हुआ है तथा प्रार्थी के मकान के पास ही पूर्व दिशा की ओर प्रार्थी का कब्जा शुदा पुश्तैनी बाड़ा आया हुआ है जिसमे प्रार्थी की ओर नीवें खोदकर उसकी पत्थरों से व सीमेंट से भरवाई गई और मोके पर अभी भी प्रार्थी के छीणों के टुकडे व दो टोली पत्थर पडे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त विवादित परिसर का बिना मौका देखे, बिना कब्जा तत्कालीन सरपंच ने दिनांक 05.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट करके फर्जी पट्टा 05 तैयार जारी कर दिया जो निम्न आधारों पर खारिज किये जाने योग्य हैः–

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 301/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम मंजु व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

- प्रार्थी का पक्का रहवासीय मकान मालिकाना कब्जा सुदा गांव कोटड़ी की आबादी भूमि में आया हुआ है तथा प्रार्थी के मकान के पास ही पूर्व दिशा की ओर प्रार्थी का कब्जा सुदा पुश्तैनी पुराना बाडा आया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 02 तत्कालीन सरपंच महोदय ने मिली भगत करके अप्रार्थी संख्या 01 को लाभ पहूंचाने लिए उक्त फर्जी पट्टा तैयार किया जो कानुनन गलत है।
- अप्रार्थी संख्या 01 ने वादग्रस्त परिसर का पट्टा व दायरा दिनांक 66/2011–12 का प्रार्थना पत्र मय आवेदन अन्तर्गत सामान्य नियम 256 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी को प्रस्तुत नही किया था। साथ ही नियम 256(1) व (2) के तहत शुल्क जमा नही करवाया था एवं अप्रार्थी का आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा प्रपत्र संख्या 49 में रजिस्ट्रर मे दर्ज नही किया गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नियम 257(1) के तहत स्थल का नक्शा व निरीक्षण नहीं किया गया। मौके पर गैर सायल व नक्शा नवीस द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। नियम 258 (1) व (2) के तहत तीन वार्ड पंचो की कमेठी गठित नही की गई। तथा वार्डपंचो ने किसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है तथा उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिससे भी आदेश व पट्टा खारिज होने से व निगरानी स्वीकार करने योग्य है।
- ग्राम पंचायत कोटडी ने दिनांक 0511.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किये जाने अस्थाई अंतिम विनिश्चय का प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 259(1) व (2) के अनुरुप पारित नही किया और न ही ग्राम पंचायत ने आम आपत्ति नोटिस जारी किया तथा न ही नियम 260 (1) व (2) के तहत आम आपत्ति नोटिस प्रपत्र संख्या 50 को दो प्रतियो मे जारी कर सम्पति व नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया है जिसमें भी जैर निगरानी आदेश काबिले खारिज हैं।
- ग्राम पंचायत ने आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम व सामान्य नियम 261 की पालना नही करते हुए दिनांक 05.12.2019 को ही पट्टा जारी कर लिया जबकि आम आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद ही आपत्ति बाबत पूरे परिवार व पड़ौसियों के बयान दर्ज नहीं किये गये व आदेशात्मक प्रोविजन की पालना नही की है तथा अडौस पडौस के बयान भी लिये जाने थे परन्तु ग्राम पंचायत ने उसी रोज पट्टा जारी कर दिया इस कारण उक्त आदेश मय पट्टा काबिल खारिज है।
- ग्राम पंचायत में आवेदन दर्ज करने, नक्शा शामिल मिसल करने, वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट शामिल करने, आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय पारित किये जाने आम आपत्ति नोटिस जारी करने, पट्टा जारी करने का अंतिम निर्णय बाबत् तमाम आदेशिका का पंचायत बैठक में रजिस्टर में दर्ज नहीं किया तथा किसी भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर वाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर
वाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

आदेशिका पर तारीख अंकित नही की है और न ही उक्त आदेशिकओं पर सरपंच के हस्ताक्षर है।

- उक्त सम्पूर्ण पत्रावली मे सरपंच के कही हस्ताक्षर नही है न ही कोई तारीख लिखी हुई है इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 व तत्कालीन सरपंच महोदय ने कानून को ताक मे रखकर व तथ्य छिपाकर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का भंयकर गैर कानूनी कृत्य किया है इस कारण प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने योग्य है।
- ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने नियम (घ) के तहत ग्राम कोटडी की विद्यमान बाजार कीमत कर एक तिहाई मुल्य वसुल नही किया है तथा अप्रार्थी ने सामान्य नियम 267, व 267(क) के तहत रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नही था इस कारण भी प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने योग्य है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 70/2018–19 जरिये दिनांक 05.12.2019 के तहत जारी किया गया आबादी भूमि का बुक संख्या 10का पट्टा संख्या 05गैर कानूनी जारी किये जाने से खारिज फरमावें।

विचाराधीन निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 156 तथा नियम 158 में विहित उपबन्धों के उल्लंघन में जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता जैर आलोच्य भूखण्ड में हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा यह कि, जैर आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुरुप ही जारी किया गया है, जिसमें तीन वार्ड पंचो की समिति का गठन, उनके द्वारा मौका निरीक्षण तथा अप्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना उपरान्त पट्टा जारी किया गया है। यह कि, अप्रार्थी संख्या एक अनुसूचित जाति से संबंध रखती है जिसे रियायती दर पर नियम 158 के अन्तर्गत जैर आलोच्य पट्टा जारी किया गया। यह भी, कि आज्ञाओं एवं कार्यवाही वृतान्त पर सरपंच के हस्ताक्षर सेवन से रह गए थे। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अप्रार्थी संख्या एक के स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत कियेः–

1. श्री नगाराम पुत्र श्री पकाराम, निवासी कोटडी
2. श्री रुपाराम पुत्र श्री लकाराम, निवासी कोटड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

ग्राम पंचायत कोटडी से तलब मिसल संख्या 70/2018–19 शामिल पत्रावली की गई। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा जरिए पत्रांक/119 दिनांक 31.12.2024 से अवगत कराया गया कि मूल पट्टा बुक संख्या 10 ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (R.T.Q.)

पंचायत निगरानी संख्या : 301/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम मंजु व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर मनन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड मिसल संख्या 70/2018–19 तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के प्रावधानान्तर्गत आबादी भूमि के क्रय हेतु आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करना आज्ञापक है, किन्तु मिसल संख्या 70/2018–19 में आवेदक एवं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत ऐसा कोई आवेदन सलंग्न नहीं है।
2. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के अनुसार आबादी भूमि के अन्तरण से पूर्व प्रारुप 22 में नोटिस जारी कर एक माह की अवधि के अन्दर आक्षेप आमन्त्रित करने का आज्ञापक प्रावधान है। **किन्तु, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में सलंग्न उक्त नोटिस पर न तो क्रमांक एवं दिनांक अंकित है और न ही सरपंच अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं। नियम 148(2) की पूर्वापेक्षा में सहजदृश्य स्थल पर नोटिस की चस्पानगी एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर जैसा कोई दस्तावेज भी मिसल संख्या 70/2018–19 में उपलब्ध नहीं है।**
3. मिसल संख्या 70/2018–19 में आज्ञाओं की सूची/कार्यवाही वृतान्त में कहीं भी दिनांक एवं सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से जैर आलोच्य पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.12.2019 जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 147 के अन्तर्गत प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में 'अनन्तिम विनिश्चय', नियम 150 एवं 151 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध मे नीलामी समिति के गठन, नियम 154 के अन्तर्गत विक्रय की पृष्टि, नियम 152 के प्रावधानान्तर्गत बाजार किमत पर अथवा नियम 156 के उपबन्धानुसार प्राइवेट बातचीत द्वारा प्रस्तावित भूमि के अन्तरण जैसे आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
5. आज्ञाओं की सूची में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में नियम 158 के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के विक्रय विलेख की कीमत 743/–रुपये निर्धारित करने का अंकन है। उक्त निर्णय पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। **मूल संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2019 में जैर आलोच्य पट्टा जारी करने का कहीं कोई अंकन नहीं है।** मूल पट्टा बुक संख्या 10 का ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना भी सम्पूर्ण कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 301/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम मंजु व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सारांशतः, दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि जैर आलोच्य पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.12.2019 (मिसल संख्या 70/2018–19) जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 में उपबन्धित आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। जैर आलोच्य पट्टे के अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में कहीं पर भी न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही कोई दिनांक अंकित है

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती मंजु पत्नि श्री मोहनलाल मेघवाल निवासी कोटड़ी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 05 दिनांक 05.12.2019 (मिसल संख्या 70(2018–19), बट्टा बुक संख्या 10) बमाप 1600 वर्गफुट (177.77 वर्गगज) सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया की पालना में जारी नहीं होने के कारण ख़ारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली
बाली